कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्य प्रदेश

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, लिंक रोड क्रमांक-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष: 0755-2674318, 2674337, *E-mail : pccfwl@mp.gov.in*

क्रमांक / संरक्षण / 24–2 / 10335 भोपाल, दिनांक : 20-11-2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, सामान्य / वन्यजीव वनमंडल
5. संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल
   मध्य प्रदेश.

विषय :– **वन्यप्राणियों की विद्युत करंट से मृत्यु की रोकथाम बाबत दिशा निर्देश।**

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / संरक्षण / 161 / 2857 दिनांक 13.04.2022.

उपरोक्त विषयांतर्गत संवेदनशील वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की विद्युत करंट से शिकार / घटना की रोकथाम हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. क्षेत्र संचालक / संचालक / वनमंडलाधिकारी जहां–जहां पर वन क्षेत्रों से 11 के.व्ही. / एल.टी. लाइन गुजरती है उनकी लम्बाई किस बीट एवं परिक्षेत्र सहायक वृत्त के अंतर्गत आती है सूची तैयार करेंगे एवं विद्युत लाइन्स की KML file बनायेंगे।
2. क्षेत्र संचालक / संचालक / वनमंडलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त संवेदनशील क्षेत्र किस विद्युत अभियंता / संभागीय यंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है उनके साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर विद्युत लाइनों के देखरेख के लिये सूची तैयार करेंगे। प्रत्येक लाइन की नियमित निरीक्षण हेतु वन अमले की ड्यूटी लगायेंगे।
3. संवेदनशील क्षेत्रों में वन क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत लाइन में किस नजदीकी उप स्टेशन से विद्युत प्रवाह होता है तथा वहां पर विद्युत विभाग के किन–किन कर्मचारियों की पदस्थिति है की सूची तैयार करेंगे।

   क्षेत्र संचालक / संचालक / वनमंडलाधिकारी, विद्युत अभियंता / संभागीय यंत्री से सूची लेकर वनमंडलाधिकारी संबंधित वनरक्षक एवं विद्युत लाइन मैन के लिये संयुक्त गश्ती का रोस्टर तैयार करेंगे। तदानुसार ऐसे क्षेत्रों की गश्ती निर्धारित समयावधि में रात्रिकालीन गश्ती की जायेगी।

5. वन विभाग एवं विद्युत मंडल के कर्मियों द्वारा जंगलों के समीप स्थित खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों की भी सतत् गश्ती करेंगे।
6. संयुक्त दल घटना होने पर तत्काल वनमंडलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित वर्ष 2022) एवं मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करेंगे ताकि दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सके।

राज्य स्तरीय टाइगर ... आवक क्र. 209 दिनांक 20/11/24 मध्यप्रदेश, भोपाल

7. वनमंडलाधिकारी एवं विद्युत अभियंता संयुक्त गश्ती के लिये लगाई गई ड्यूटी की त्रैमासिक समीक्षा कर अपने वरिष्ठ कार्यालय (मुख्य वन संरक्षक कार्यालय) को अवगत करायेंगे तथा संबंधित मुख्य वन संरक्षक वर्ष में कम से कम 4 बार वन क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों की संयुक्त गश्ती की समीक्षा करेंगे।
8. भविष्य में जो भी हाई एवं लो टेंशन विद्युत लाइनें डाली जाती है उनमें यह सुनिश्चित किया जावे कि ये सभी निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर ही रहे। वर्तमान में जो विद्युत लाइन विद्यमान है उनमें भी यह सुनिश्चित किया जावे कि कही भी कोई विद्युत लाइन निर्धारित ऊंचाई से नीचे न हो जिससे कि दुर्घटनाओं की कोई संभावना न रहे। Sagging विद्युत लाइन का सुधार कार्य करेंगे!
9. संवेदनशील वन क्षेत्रों में जहां पर शिकार की घटनाएं आमतौर पर होती है Earth Leakage Circuit Breakers लगाई जाये।
10. 11 के.व्ही. लाइनों के समस्त "ट्रिपिंग ऑन अर्थ फाल्ट" वन विभाग के साथ मिलकर जांच करेंगे।
11. लाइन इन्सुलेशन हेतु प्रस्ताव तैयार करें जिसमें वन क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी लंबाई है ? पूरी लंबाई को संवेदलशीलता के मापदण्ड में, अति संवेदनशील, संवेदनशील आदि की प्राथमिकता तय करें।
12. पुलिस तथा स्थानीय गुप्तचर इकाईयों के सहयोग से अपराधियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाये एवं मुखबिरों को पुरस्कृत कर मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ किया जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

20/11/2024
(व्ही.एन. अम्बाड़े)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/संरक्षण/24–2/ 10836
भोपाल, दिनांक : 20-11-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

20/11/2024
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्य प्रदेश, भोपाल